न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22 / 2020 (राजसमन्द आर्डर)

1. भैरूलाल पिता देवकिशन जी गाडरी, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदी बाई विधवा देवकिशन जी गाडरी, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

भगवानलाल पिता गोकल जी माली, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 17.12.2019 प्र.सं. 116 / 15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मुरलीधर दशोरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 03–08–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 94 / 12 होकर निर्णय दिनांक 24–06–2014 है। उक्त प्रकरण में दिनांक 12–04–2013 को विपक्षीगण अर्थात हाल अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रार्थी अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

अपीलान्टगण द्वारा प्रकरण को दोतरफा किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–12–2019 से खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–12–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री मुरलीधर दशोरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 मजदूरी करता है एवं प्रार्थी संख्या 2 अनपढ़ है, जिससे उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद कोविड 19 के चलते भी अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन इसलिए निरस्त कर दिया कि प्रार्थना पत्र 2 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है एवं निर्णय की पालना में वादग्रस्त भूमि बिलानाम कायम हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उठायी गयी आपत्तियों पर कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलान्टगण को सम्यक रूप से तामिल नहीं हुई एवं तामिला कुनिन्दा द्वारा तामिल आदेश 5 नियम 16 व 18 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार नहीं करायी गयी। तामिल कुनिन्दा ने अपनी मनमर्जी से नोटिस लेने से इंकार करने का नोट लगा दिया, जिसे सही मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलान्टगण को बिना सुने उसकी भूमि से रास्ता देकर उसके खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ली गयी आपत्तियों पर कोई गौर नहीं कर मात्र अवधि बाधित मानकर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा स्पीकिंग आर्डर से लिए प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि कोर्ट द्वारा कई बार आवाजें लगाने के बावजूद अपीलान्टगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 12–04–2013 को तामिल के आधार पर इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन इसके द्वारा करीब 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई उचित कारण नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण का आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र में उठायी गयी आपत्तियों पर कोई गौर नहीं किया है एवं मात्र इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जबकि पूर्व निर्णय की पालना में भूमि बिलानाम रास्ता कायम हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पक्षकार को सुने बिना उसके खातेदारी समाप्त कर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–12–2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04–10–2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:00 IST
Reason: SelfAttested